न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 07/2010 (223 आर0टी0एक्ट0)
जीसीएमएस संख्या :–2010/00042

उनवान :–

1. मुस0 नारायणी वेवा वरखण्डी
2. घनश्याम
3. गोकुल
4. किशन सिंह
5. कुवरसैन
6. अमर सिंह

पुत्रान वरखण्डी जाति काछी निवासी गहनौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

7. दुर्गा पुत्री वरखण्डी पत्नी नत्थी जाति काछी निवासी तिघर्रा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. हरि सिंह पुत्र तुलाराम
2. रामस्वरूप पुत्र किशन सिंह
3. श्याग सिंह पुत्र किशन सिहं

जाति जाट नि0 गहनौली तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

4. नैगीचन्द पुत्र नामालूम जाति ब्राहम्ण निवासी विनऊआ हाल शारीरिक शिक्षक शहीद सरमन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गहनौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
5. हरिबाबू पुत्र नामालूम जाति ब्राहम्ण हाल प्रधानाध्यापक शहीद सरमन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गहनौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... रैस्पोंडेण्ट

अपील संख्या :– 06/2010 (223 आर0टी0एक्ट0)
जीसीएमएस संख्या :–2010/00041

उनवान :–

1. मुस0 नारायणी वेवा वरखण्डी
2. घनश्याम
3. गोकुल
4. किशन सिंह
5. कुवरसैन
6. अमर सिंह

पुत्रान वरखण्डी जाति काछी निवासी गहनौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

7. दुर्गा पुत्री वरखण्डी पत्नी नत्थी जाति काछी निवासी तिघर्रा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. हरि सिंह पुत्र तुलाराम
2. गोविन्द पुत्र सरनाम सिंह
3. श्याम सिंह पुत्र किशन सिंह
4. रामस्वरूप पुत्र किशन सिंह
5. रूपन पुत्र हरि सिंह
6. लाखन पुत्र प्यारेलाल
7. मोहन सिंह पुत्र फत्ते सिंह
8. शिवचरन पुत्र गजाधर जाति ब्राहम्ण

जाति जाट नि0 ग्राम गहनौली तहसील रूपवास।

9. गिर्राज पुत्र रामचरन जाति ब्राहम्ण निवासी सिकरौदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

10. दर्याव सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति जाट निवासी न्यू सिविल लाईन भरतपुर हाल आबाद प्रिंसिपल शहीद सरमन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गहनौली तहसील रूपवास।
11. करन सिंह पुत्र नामालूम जाति नामालूम निवासी नामालूम हाल आबाद अध्यापक शहीद सरमन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गहनौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
12. घनश्याम पुत्र नामालूम जाति वागरी ब्राहम्ण निवासी पिचूना तहसील रूपवास हाल आबाद शारीरिक शिक्षक शहीद सरमन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गहनौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
13. अनोख सिंह पुत्र सरमन सिंह जाति जाट निवासी गहनौली हाल आबाद अध्यापक शहीद सरमन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गहनौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.01.2010 प्रकरण संख्या 122/08, 147/01 न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन उनवान वरखंडी बनाम हरि सिंह।

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट ।
2. श्री प्रताप सिंह अभिभाषक रैस्पो0 ।

निर्णय दिनांक :–18.10.2021

1. यह दोनों अपीलें इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय दिनांक 15.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। चूँकि दोनों अपीलो के तथ्य, विवादित आराजी व पक्षकार एक समान ही हैं इसलिए दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रस्तुत वाद में इस तथ्य बावत् कोई विवाद नहीं है कि विवादित भूमि, आराजी खसरा नम्बर 368 रकवा 01 बीघा 07 विस्वा वाके ग्राम गहनौली का खातेदार काश्तकार वादी/अपीलाण्ट है।

3. वाद सख्या 122/08 वादी/अपीलाण्ट ने इस आशय का पेश किया कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 368 रकवा 01 बीघा 07 विस्वा वाके ग्राम गहनौली का खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। उक्त खसरा नम्बर गहनौली मोड पर सडक के सहारे राजकीय महाविद्यालय के पास स्थित है। प्रतिवादीगण/रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। यह आराजी सडक के सहारे स्कूल के पास स्थित होने के कारण काफी महंगी है, जिसे प्रतिवादीगण/रैस्पो0 येन केन हथियाना चाहते हैं। उन्होनें उक्त आराजी को सस्ते दामो पर खरीदने का प्रस्ताव किया। वादी/अपीलाण्ट द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण/रैस्पो0 ने उक्त आराजी को स्कूल में शामिल करने का षडयंत्र किया व धमकी दी। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण/रैस्पो0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

4. वाद संख्या 147/2001 में भी वादी/अपीलाण्ट ने उक्त विवादित आराजीयात के संबंध में प्रतिवादीगण/रैस्पो0 द्वारा धमकी दिये जाने की बात कह कर उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की प्रार्थना की।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनों वादो में विवादित आराजी, वांछित अनुतोष व पक्षकार समान होने के कारण समेकित करते हुये, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिये। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह दोनों अपीले इस न्यायालय में पेश की गयी हैं।

6. अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

7. विद्वान अभिभाषक ने बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसुखी है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 368 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम गहनौली मोड तहसील रूपवास का अपीलाण्ट काबिल खातेदार काश्तकार है इस तथ्य को रैस्पो0 ने अपने जवाब दावा में भी स्वीकार किया है तथा वादी अपीलाण्ट का दावा भी हुक्म इम्तनाई दवामी का था फिर भी लायक अदालत तहत ने अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा पेश कर्दा दस्तावेज व गवाहान पर विश्वास नहीं करते हुये अपीलाधीन निर्णय देने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 04.07.2001 व दिनांक 10.11.2005 पर विश्वास नहीं करते हुये तथ महज एक एफआईआर पर विश्वास करते हुये निर्णय व डिक्री जैर अपील देने में कानूनी गलती की है। जबकि स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विवादित आराजी को वादी/अपीलाण्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी की होना माना है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2012 पेज 420, 2018 पेज 655 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जानें एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधीवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अभिभाषक अपीलाण्ट के सारे कथन झूठे व मनगढन्त हैं। अपीलाण्ट दावे की आड में स्कूल की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं एवं इसी उद्देश्य से अपीलाण्ट द्वारा विद्यालय की दीवार तोडी गयी थी। जिसमें एफआईआर दर्ज कराई एवं चालान पेश हुआ। विवादित आराजी की तीन–तीन बार पैमाईश हो चुकी है। स्कूल की जमीन पर अपीलाण्ट का कोई संबंध सारोकार नहीं है। दिनांक 24.09.2001 को की गई पैमाइश रिपोर्ट में स्कूल के एरिया में अपीलाण्ट का अतिक्रमण पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यो की जॉच एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर, तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 पेज 358 का उद्धरण पेश किया।

9. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वादो को तय करने हेतु, अनुतोष सहित पॉच तनकियॉ निर्धारित की गयी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:–

10. <u>तनकी संख्या 01</u>– हम पाते हैं कि विवादित आराजी बाबत् दिनांक 04.07.2001, 24.09.01 को तहसीलदार द्वारा हमराह उपखण्ड अधिकारी बयाना एवं पुनः दिनांक 09.11.05 व 10.11.05 को भू प्रबन्ध विभाग के तहसीलदार, निरीक्षक, भू मापक व पटवारी हल्का सैदपुरा,

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

सोनोठी, खिजूरी व भू राजस्व निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से पैमाईश की गयी है। उक्त तीनों पैमाईशो में भिन्न–भिन्न निष्कर्ष निकले हैं। दिनांक 04.07.2001, 09.11.05 व 10.11.05 को की गई पैमाईश में वादी/अपीलाण्ट की विवादित आराजी का रकबा स्कूल की आराजी में शामिल पाया गया है तथा दूसरी ओर दिनांक 24.09.2001 की पैमाईश रिपोर्ट में स्कूल की आराजी का रकबा वादी/अपीलाण्ट की विवादित आराजी में शामिल पाया गया है। परन्तु उक्त पैमाईश रिपोर्टो के आधार पर ना तो वादी/अपीलाण्ट ने एवं ना ही प्रतिवादीगण/रैस्पो0 ने एक दूसरे के विरूद्ध कोई कब्जा वापसी का दावा पेश किया है एवं ना ही उक्त तीनो पैमाईश रिपोर्टो में यह अंकित है कि प्रतिवादीगण/रैस्पो0 ने वादी/अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया हो। इसके अलावा प्रतिवादी/रैस्पो0 स्कूल के प्रधानाध्यापक व शिक्षक हैं उनके द्वारा विवादित आराजी पर पैट्रोल पम्प लगाने हेतु विवादित आराजी को मॉगने अथवा विवादित आराजी पर अनाधिकृत कब्जा करना, सत्यता से परे प्रतीत होता है। इसके विपरीत वादी/अपीलाण्ट द्वारा स्कूल की चारदिवारी को तोडने बाबत् प्रतिवादीगण/रैस्पो0 द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज कराना भी, वादी/अपीलाण्ट के कथनो पर संदेह उत्पन्न करती है। चाहे उक्त एफ0आई0आर0 में भले ही एफ0आर0 लग चुकी हो। प्रतिवादी/रैस्पो0 स्कूल में प्रधानाध्यापक व शिक्षक हैं। उनका वादी/अपीलाण्ट की भूमि में जबरन कब्जा करना, निजी स्वार्थ नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त वादी/अपीलाण्ट ने अपने दावे में ऐसी कोई प्रार्थना या एतराज भी नहीं किया है कि प्रतिवादीगण/रैस्पो0 ने उसकी आराजी पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है एवं उसे हटाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर खिलाफ वादी/अपीलाण्ट पाया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

11. तनकी संख्या 02, 03, 04– तनकी संख्या 01 के निर्णय से प्रभावित होती हैं। अतः विवेचना किया जाना प्रांसगिक नहीं है।

12. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के आदेश दिनांक 15.01.2010 यथावत रखें ज़ाते हैं दोनों पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

13. निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.10.21

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर